**दिनांक: 12-05-2025**

**-प्रेस नोट-**

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ 01 शातिर पशुचोर/गौकश अभियुक्त घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 02 जिंदा/01 खोखा कारतूस 315 बोर, गौकशी के उपकरण तथा 01 सैंट्रो कार बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों की धरपकड हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चैकिंग/गश्त की जा रही है। आज दिनांक 12.05.2025 की सुबह थाना प्रभारी बेहट मय पुलिस टीम के साथ पिठौड़ी मौड़ पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग कर रहे थे, तभी ग्राम लंढोरा चौक की तरफ से काले रंग की 01 सैन्ट्रो कार आती दिखाई दी जिसमें दो व्यक्ति सवार थे जिसे संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा रूकने का इशारा किया तो वह नही रुके तथा कार सवार बदमाश पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए जनता रोड़ से ग्राम पिठोड़ी की तरफ भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया तो बदमाश अपनी गाड़ी से मंढ़ोरा की तरफ खड़न्जे पर भागे तभी बदमाशों की गाड़ी कच्चे रास्ते में कीचड़ में फंस जाने के कारण गाड़ी वही छोड़कर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए भागने का प्रयास करने लगे, पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में 01 बदमाश दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया तथा दूसरा बदमाश जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। फरार बदमाश की तलाश हेतु लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। गिरफ्तार बदमाश की पहचान फैजान पुत्र अब्दुल खालिक निवासी ग्राम रैड़ी थाना बेहट जनपद सहारनपुर के रूप मे हुई। घायल बदमाश को ईलाज हेतू अस्पताल मे भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त फैजान उपरोक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 02 जिंदा/01 खोखा कारतूस 315 बोर, गौकशी के उपकरण व 01 सैन्ट्रो कार रजि न0- UP-80-BD-5274 बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बेहट पर मु0अ0सं0- 190/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

**विवरण पूछताछः-** अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग गोकशी करने के उद्देश्य से गोकशी का सामान लेकर घूम रहे थे तो रास्ते में पुलिस मिलने पर पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास करने लगे । हमारी कार कीचड में फँस जाने के कारण हम लोग पुलिस पर फायरिंग करते हुए भाग रहे थे तो पुलिस की गोली मेरे पैर में लग गयी थी मेरा साथी जंगल में भाग गया । पुलिस की गोली लगने से घायल हो जाने के कारण मैं भाग नहीं पाया तथा पकडा गया ।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता**

1- फैजान पुत्र अब्दुल खालिक नि0 ग्राम रीढी मोहिद्दीनपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण-**

- 01 अदद तमन्चा 315 बोर मय एक खोखा व दो दिन्दा कारतूस
- गोकशी करने के उपकरण

- 01 कार हुंडई सेण्ट्रो कार रंग काला UP80BD5472

**अभियुक्त फैजान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास**

1. मु0अ0सं0- 190/25 धारा- 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 464/19 धारा- 420/465/411 भादवि थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0- 144/19 धारा- 380/411/34 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0- 145/19 धारा- 25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0- 380/19 धारा- 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना बेहट जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0- 361/12 धारा- 3/5/8 सीएस एक्ट व 380 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अजब सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री बलराम सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. है0का0 680 भूपेन्द्र सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. का0 1835 सन्दीप चिकारा थाना बेहट जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

**दिनांकः 12.05.2025**

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 NBW वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक बेहट श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा **02 वारण्टी अभियुक्तगण 1. शहजाद पुत्र मतलूब नि0 मौ0 गाडान कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर व 2. फरहान पुत्र इस्लाम नि0 मौ0 गाडान कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 1106/21 धारा- 60 आबकारी अधिनियम में जारी गैर जमानतीय वारण्ट में थाना क्षेत्र बेहट से गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का नाम पताः-**

1- शहजाद पुत्र मतलूब नि0 मौ0 गाडान कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर

2- फरहान पुत्र इस्लाम नि0 मौ0 गाडान कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर

**आपराधिक इतिहास**

वाद सं0- 1106/21 धारा- 60 आबकारी अधि0 थाना बेहट जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

1. उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. है0का0 73 प्रवेश कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर

दिनांक: 12.05.2025

-प्रेस नोट-

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

**थाना मण्डी पुलिस द्वारा दुकान से बैटरा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गया 01 बैटरा व घटना में प्रयुक्त एक एक्टिवा बरामद**

अवगत कराना है कि दिनांक 11.05.2025 को वादी श्री सोनू सैनी पुत्र श्यामलाल सैनी निवासी चिलकाना चुंगी कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की दुकान से बैंटरा चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0187/2025 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त कासिम उर्फ कासिफ अली पुत्र सराफत अली निवासी मौहल्ला जाटावान थाना कोतवाली नगर सहारनपुर का नाम प्रकाश मे आया।

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व नकबजन/चोर/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में** पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दुकान से बैटरा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **01 शातिर चोर अभियुक्त कासिम उर्फ कासिफ अली पुत्र सराफत अली निवासी जाटावान थाना कोतवाली नगर सहारनपुर** को न्यू 62 फूटा रोड सिम्बल के पेड के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 बैटरा एवं घटना में प्रयुक्त एक्टिवा UP11AW9759 बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुये समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैने अपनी एक्टिवा स्कूटी UP11AW9759 पर सैनी इलैक्ट्रोनिक्स चिलकाना चुंगी दुकान के सामने से एक सफेद व लाल रंग का टयूबलर बैटरा चोरी किया था। जिस बैटरे को को आज में किसी कबाडी को बेचने के लिये जा रहा था तो आज आपने मुझे पकड लिया।। यह वही बैटरा था जो मैने चोरी किया था।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-**

कासिम उर्फ कासिफ अली पुत्र सराफत अली निवासी जाटावान थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

**बरामदगी का विवरणः–**

- 01 बैटरा (सफेद रंग )
- मो0सा0 UP11AW9759 (घटना में प्रयुक्त)

**आपराधिक इतिहास :-**

1. मु0अ0सं0 454/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. मु0अ0सं0187/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

1. उ0नि0 श्री संदीप कुमार  थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. का0 2280 जोगेन्द्र कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

**दिनांक –12.05.25**

-प्रेस नोट-

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 NBW वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 12.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी **अभियुक्त शम्भू पुत्र वीरबल सैनी नि0 ग्राम मल्हीपुर थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0- 700/21 धारा 452/354(ख) भादवि व 3(1),3(2) Sc/st Act (मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जनपद सहारनपुर) में ग्राम मल्हीपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

शम्भू पुत्र वीरबल सैनी नि0 ग्राम मल्हीपुर थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सुभाष चन्द सिंह थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
3. है0कां0 968 अरविन्द धामा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
4. कां0 2362 दिनेश कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

दिनांकः **12.05.2025**

**-प्रेस नोट-**

# <u>यातायात पुलिस जनपद सहारनपुर</u>

अवगत कराना है कि आज दिनांक 12.05.2025 को **सोशल मीडिया X (एक्स) पर वायरल वीडियों जिसमें एक युवक हाईवे पर खतरनाक तरीके से स्टंट करते हुए नजर आ रहा है ।** तत्काल वायरल वीडियों का संज्ञान लेकर सहारनपुर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये वीडियों में दिखाई दे रही मोटरसाइकिल की पहचान/जानकारी कर यातायात अधिनियम की धाराओं में उचित कार्यवाही करते हुए उपरोक्त मोटरसाइकिल को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज की गयी है।

आमजन से अपील की जाती है कि खतरनाक तरीके से वाहन न चलाये तथा वाहन का संचालन किये जाने के दौरान यातायात नियमों का पालन करें।

**"आपकी सुरक्षा हमारा दायित्व"**

पुलिस अधीक्षक यातायात
जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः **12.05.2025**

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

## थाना नकुड़ पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर हिन्दु समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी सम्बन्धी वीडियो पोस्ट करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व कानून एवं शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर लगातार सतर्क दृष्टि रखी जा रही है, इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 12.05.2025 को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के सम्बन्ध में वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले **अभियुक्त अब्दुल मलिक पुत्र हाजी खालिद निवासी मौ0 किला कस्बा अम्बेहटापीर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अब्दुल द्वारा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर हिन्दू समाज की धार्मिक भावनाओ को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य जानबूझकर वीडियों पोस्ट की गयी थी। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 146/25 धारा 299/196 बीएनएस के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अब्दुल मलिक पुत्र हाजी खालिद निवासी मौहल्ला किला कस्बा अम्बेहटापीर थाना नकुड़, सहारनपुर

### अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री आजाद सिह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. हे0का0 464 प्रवेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. का0 2122 लोकेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 12.05.2025

-प्रेस नोट-

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना मण्डी पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 60 ग्राम अवैध स्मैक, 01 मोबाइल फोन व 670/- रूपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त नवीन सैनी पुत्र प्रेमचन्द सैनी निवासी शिवेन्द्र विहार कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर** को बाबा लालदास के बाडे के मन्दिर के गेट से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 60 ग्राम अवैध स्मैक बरामद। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 188/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं इस फोन से ही स्मैक खरीदने वाले ग्राहको को बुलाता हूँ तथा मुझसे जो 670 रुपये बरामद हुए है ये स्मैक की बिक्री के ही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

नवीन सैनी पुत्र प्रेमचन्द सैनी निवासी शिवेन्द्र विहार कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण –**

- 60 ग्राम स्मैक
- 01 मोबाईल (नोकिया कीपैड)
- रुपये 670

**गिरफ्तार अभियुक्त नवीन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –**

1. मु0अ0सं0 405/19 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना मण्डी सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 144/17 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना मण्डी सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 162/19 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना मण्डी सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 271/17 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना मण्डी सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 330/2024 धारा 8/20 एनडीपीएसएक्ट थाना मण्डी सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 345/2024 धारा 8/20 एनडीपीएसएक्ट थाना मण्डी सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 356/2016 धारा 60आबकारी अधिनियम थाना मण्डी सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 390/2019 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना मण्डी सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 557/17 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना मण्डी सहारनपुर

10.मु0अ0सं0 188/25 धारा 8/21 एनडीपाएस एक्ट थाना मण्डी सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–**

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र सोलंकी थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. है0का0 100 राहुल त्यागी थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
3. है0का0 310 विपिन पंवार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
4. है0का0 345 फारुख अली थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
5. का0 2102 सुधीर कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर

**दिनांक: 12.05.2025**

**-प्रेस नोट-**

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर **अभियुक्त चाँद पुत्र जमील निवासी छाबडा कालौनी मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को नहर के कच्चे रास्ते पर शमशान घाट के पास से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त चाँद उपरोक्त के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर **मु0अ0सं0 135/2025 धारा 4/25 आर्मस एक्ट** के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त चाँद उपरोक्त ने मैं अपनी सुरक्षा व राह चलते लोगो को डराने धमकाने के लिये यह चाकू रखता हूँ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-**

- चाँद पुत्र जमील निवासी छाबडा कालौनी मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

**बरामदगी का विवरणः-**

- 01 नाजायज चाकू

**अभियुक्त चाँद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास**

1. मु0अ0स0 0011/24 धारा 63 उत्तर प्रदेश उत्पाद-शुल्क/आबकारी अधिनियम थाना कुतुबशेर
2. मु0अ0सं0 0200/19 धारा 380/411 भादवि थाना कुतुबशेर
3. मु0अ0सं0 0287/19 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना कुतुबशेर
4. मु0अ0सं0 0155/21 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना कोतवाली नगर
5. मु0अ0सं0 0127/18 धारा 379/411 भादवि थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिहं थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री उ0नि0 अशोक कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 250 कविन्द्र थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 1913 राजन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 12.05.2025

-प्रेस नोट-

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते मा0 न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05, सहारनपुर द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें में अभियुक्त को 02 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनायी गया सजा –

अवगत कराना है कि दिनांक 25.09.2017 को वादी प्रभारी निरीक्षक श्री नीरज सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्तगण 1.सोनू पुत्र रामस्वरूप 2.अंकित पुत्र हरीदास 3.संदीप पुत्र पाल्ला 4.शौकीन पुत्र नसीम नि0गण दुमजेडा थाना चिलकाना सहारनपुर द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने आर्थिक लाभ हेतु अपराध कारित करने की सूचना पर मु0अ0स0-382/2017 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-48/2018 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 12.05.25 को अभियुक्त सोनू पुत्र रामस्वरूप उपरोक्त को मु0अ0स0-382/2017 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट में जुर्म इकबाल के आधार पर 02 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया।

नोटः-अभियुक्तगण 1.अंकित पुत्र हरीदास 2.संदीप पुत्र पाल्ला 3.शौकीन पुत्र नसीम नि0गण दुमजेडा थाना चिलकाना सहारनपुर का वाद मा0 न्यायालय में प्रचलित है।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री मेघराज चौहान
विवेचक उपनिरीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार
पैरोकार का0- है0का0 महेश कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर

दिनांकः 12.05.2025

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते मा0 न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14, सहारनपुर द्वारा दुष्कर्म के मामलें में 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास व 01 लाख 10 हजार रूपये व महिला अभियुक्ता को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 60 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनायी गया सजा –**

अवगत कराना है, कि दिनांक 11.03.2019 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.विक्रम उर्फ विक्की पुत्र राजू निवासी शुक्रताल थाना नकुड जनपद सहारनपुर, 2.मिनाक्षी पुत्री मांगेराम नि0 जलालपुरा थाना नकुड जनपद सहारनपुर व 3.रिंकू पुत्र राजकुमार निवासी जन्धेडा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की सूचना पर मु0अ0स0-72/2019 धारा 363,376,324,120बी,34 भादवि 3/4 पोक्सो एक्ट थाना नकुड जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-83/2019 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 12.05.2025 को अभियुक्तों 1.विक्रम उर्फ विक्की पुत्र राजू 2.रिंकू पुत्र राजकुमार को मु0अ0स0 72/2019 धारा 363,376,324,120बी,34 भादवि 3/4 पोक्सो एक्ट का दोषी पाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास व 01 लाख 10 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डि**त किया गया।

**नोटः- अभियुक्ता 1. मिनाक्षी पुत्री मांगेराम निवासी जलालपुरा थाना नकुड जनपद सहारनपुर को मु0अ0स0 72/2019 धारा 363,376,324,120बी,34 भादवि 3/4 पोक्सो एक्ट का दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 60 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

**शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री मेघराज सैनी**

**विवेचक निरीक्षक श्री राजीव यादव**

**पैरोकार का0 देवेन्द्र कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर।**